# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), जयपुर

फर्द अहकाम

प्रकरण संख्या : राज. अपील नि. 15/2015 मनोहर वगैरह बनाम [illegible] वगैरह

| कार्यवाही /आज्ञा की दिनांक | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 8-1-18 | पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उपस्थित। पुनः बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 31-1-18 को पेश हो।<br>अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर | |
| 31-1-18 | पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उपस्थित। अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 27-5-1989 निरस्त की जाती है। प्रकरण पुनः तहसीलदार, फागी को रिमाण्ड किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से खारिज हो। निर्णय आज दिनांक 31-1-18 को खुले इजलास सुनाया गया।<br>अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर | |

# न्यायालय सुनील भाटी, आर.ए.एस. अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर

राजस्व अपील सख्याः 15/2015

श्रीमती मनोहर कंवर उर्फ मन्दोर कंवर पत्नी श्री दिलीप सिंह पुत्री श्री छीतरदान सिंह, जाति–बडवा, नि0–ग्राम दाडून्दा, तह0–फतेहपुर, जिला–सीकर (राज0)।

अपीलान्ट्

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
2. भंवरसिंह पुत्र श्री छीतरदान सिंह, जाति–बडवा, निवासी–ग्राम धटियाली, पटवार हल्का धटियाली, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स

( राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार फागी दिनांक 27.05.1989 नामान्तरकरण सं0 399 ग्राम धटियाली )

उपस्थितः–

1. श्री गंगाराम शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट् की ओर से।
2. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बावजूद तामील अनुपस्थित।

निर्णय दिनांकः 31.01.2018

नायब तहसीलदार फागी, जिला–जयपुर द्वारा ग्राम धटियाली की आराजी ख0सं0 कुल किता 02 रकबा 14 बीधा 02 बिस्वा के खातेदार श्री छीतरदान पुत्र श्री छोगालाल, जाति–बडवा की फौतगी पर विरासत का नामान्तकरण मृतक के पुत्र भंवरसिंह व मृतक की पत्नी सदा कंवर के नाम दिनांक 27.05.1989 को स्वीकार किया गया हैं, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई है।

उक्त आशय की अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कराई जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट्स जारी किये गऐ व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

उभयपक्षों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट् के विद्वान् अभिभाषक श्री गंगाराम शर्मा का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 27.05.1989 विधि–

विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार छीतरदान पुत्र श्री छोगालाल, जाति–बडवा की मृत्यु होने पर रेस्पोडेन्ट् सं0 2 ने रेस्पोडेन्ट् सं0 1 से साज कर केवल मृतक छीतरदान की पत्नी श्रीमती सदा कंवर व पुत्र रेस्पोडेन्ट् सं0 2 भंवरसिह ने बाला–बाला नामान्तकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नामान्तरकरण अपने नाम स्वीकार करा लिया जबकि मृतक के जायन्दा पुत्री अपीलान्ट् मनोहर कंवर भी वादग्रस्त आराजी की स्वामिनी एवं अधिकारणीय हैं। नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने से पूर्व मृतक के विधिक वारिसान की जांच नहीं की गई बिना जांच किये व मृतक की वारिस पुत्री मनोहर कंवर को बिना सुनवाई साक्ष्य का नोटिस/अवसर दिये मनमाने रूप से एकतरफा आज्ञा पारित कर अपीलान्ट् को अपने हको से वंचित किया गया हैं जो प्रारम्भ से शून्य होने से निरस्तनीय हैं। अपीलाधीन आज्ञा की अपीलान्ट् को प्रारम्भ से ही जानकारी नहीं थी क्योंकि रेस्पोडेन्ट् सं0 2 ने प्रारम्भ से ही अपीलान्ट् को यह बताया था कि पिता छीतरदान की मृत्यु के पश्चात् पैतृक भूमि में अपीलान्ट् सदा कंवर का हिस्सा राजस्व रिकार्ड में लगवा दिया गया हैं परन्तु जब अपीलान्ट् की माता श्रीमती सदा कंवर की मृत्यु दिनांक 21.06.2013 को होने के पश्चात् अपीलान्ट् अपने हिस्से में अपनी माता सदा कंवर का नामान्तरकरण खुलवाने गई तो उसे मालूम हुआ कि उसके नाम पूर्व में कोई राजस्व अभिलेख इन्द्राज नहीं हैं और मृतक छीतरदान की सम्पत्ति में रेस्पोडेन्ट् सं0 2 भंवरसिंह व सदा कंवर का 1/2, 1/2 हिस्सा दर्ज हैं। उक्त तथ्य अपीलान्ट् के जानकारी में आते ही अपीलान्ट् ने दिनांक 23.03.2015 को नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन किया और उसे दिनांक 26.03.2015 को नामान्तरकरण की नकल प्राप्त हुई जिसके पश्चात् तत्काल जानकारी की दिनांक अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गई हैं। अतः अपील–अपीलान्ट् स्वीकार फरमाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 27.05.1989 नामान्तरकरण सं0 399 ग्राम धटियाली निरस्त फरमाई जावे और तहसीलदार, फागी को अपीलान्ट् के हिस्से में आई आराजी का नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने के निर्देश फरमाये जावे।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 27.05.1989 विधि–विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप पारित की गई है। अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 27.05.1989

पारित किये जाने की दिनांक को जो कुछ जानकारी थी उसके आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार किया गया हैं। अपीलान्ट् मृतक छीतरदान की पुत्री हैं और उसके हिस्से में आई आराजी का नामान्तरकरण यदि स्वीकार किया जाता हैं तो कोई ऐतराज नहीं हैं।

हमनें उभयपक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि दिनांक 27.05.1989 को पटवारी हल्का ने मृतक के जायन्दा पुत्र व मृतक की पत्नी सदा कंवर का ही सजरा खानदान में नाम अंकित किया हैं जबकि मृतक की पुत्री मनोहर कंवर भी जीवित हैं। पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं हैं जो यह जाहिर करते हो कि मृतक की पुत्री मनोहर कंवर ने पूर्व में अपना हक त्याग कर दिया हो अथवा मनोहर कंवर मृतक की पुत्री नहीं हो। नियमानुसार वारिसान की जांच कर मृतक के सभी जायज वारिसान के नाम नामान्तरकरण स्वीकार किया जाना न्यायोचित हैं परन्तु विचारण प्रकरण में यह स्पष्ट हैं कि मृतक के वारिसान की जांच की जाकर मृतक की पुत्री को सुनवाई साक्ष्य का नोटिस/अवसर नहीं दिया गया हैं, ऐसी कार्यवाही को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता हैं। अतः अपील अपीलान्ट् स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 27.05.1989 निरस्त की जाती है और प्रकरण पुनः तहसीलदार, फागी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई साक्ष्य का नियमानुसार नोटिस दिया जाकर साक्ष्य सबूतो हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान कर प्रकरण में किये गये विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर पुनः न्याय–संगत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर